संख्या : 3617 /8–3–2011–134विविध/11

प्रेषक

आलोक कुमार,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

1. आवास आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 लखनऊ : दिनॉक : 10 अगस्त,2011

विषय :– विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि,2008 के प्रस्तर–3.1.9 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2008 के प्रस्तर–3.1.9 जो संरक्षित स्मारकों/हेरिटेज स्थलो के समीप निर्माण की अनुज्ञा के संबंध में निम्न व्यवस्था है:–

i. पुरातत्व विभाग द्वारा घोषित संरक्षित स्मारकों/हेरिटेज स्थलों की सीमा से 100मी0 की परिधि के अन्दर निर्माण की अनुज्ञा नही दी जायेगी तथा इसके पश्चात 200मी0 तक के क्षेत्र में उसी में निर्माण हेतु पुरातत्व विभाग की अनापत्ति आवश्यक होगी।

ii. संरक्षित स्मारकों के अतिरिक्त सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं वास्तुकलात्मक अभिकल्पन की धरोहर के संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों/भवनों के आस–पास विकास/निर्माण की अनुज्ञा प्रदान करने हेतु प्राधिकरण समुचित शर्तें एवं प्रतिबन्ध निर्धारित कर सकता है।

2– शासन के संज्ञान में आया है कि कतिपय मामलों में उपर्युक्त अनुज्ञा का अनुपालन नही किया जा रहा है। कृपया विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2008 के प्रस्तर–3.1.9 का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
सचिव।